

बिहार सरकार  
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-..... / 02 / 2016

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक फॉरेस्ट कॉलोनी, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-2, बेतिया में अवस्थित विभिन्न आवासों को जोड़ने वाली सड़क पर पी०सी०सी० निर्माण कार्य हेतु सड़क और पुल योजनान्तर्गत कुल ₹ 14.595 लाख की प्रशासनिक एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 12.822 लाख की स्वीकृति।

**महाशय,**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक फॉरेस्ट कॉलोनी, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-2, बेतिया में अवस्थित विभिन्न आवासों को जोड़ने वाली सड़क पर संलग्न परिशिष्ट-2 के रूप में गठित कार्य योजना एवं परिशिष्ट-1 के रूप में आकलित वर्षवार राशि के अनुरूप पी०सी०सी० निर्माण कार्य हेतु सड़क और पुल योजनान्तर्गत कुल ₹ 14.595 लाख की प्रशासनिक एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 12.822 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

चूँकि पूर्व से निर्मित सड़क ईट सोलिंग की है, जो काफी पुरानी होने के कारण बरसात में सड़क पर पानी आ जाती है, सड़क बिलकुल खराब हो गया है, फलस्वरूप एक-दूसरे आवासों के परिक्षेत्र के अन्तर्गत आवा-गमन कठिन हो गया है। अतएव इन कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त उक्त सड़क पर पी०सी०सी० द्वारा उसका स्थायी निर्माण की आवश्यकता के दृष्टिपथ में यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070 संचार तथा भवन, माँग संख्या-19, उप शीर्ष-0101-सड़क और पुल, विपत्र कोड-पी०4406010700101 के विषय शीर्ष-27.01-लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-2, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके सम्बद्ध कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०-98/टि० पर दिनांक-27.01.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति एवं प्रारूप में पृ०-99/टि० पर दिनांक-02.02.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

✓

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो स्वीकृत्यादेश में परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।
9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
10. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

**अनुलग्नक – यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/—

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-05/2011 377 /प०व० पटना-15, दिनांक-...03/02/2016


**प्रतिलिपि :-** (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।					
क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि		कुल (2015-16 से 2016-17 तक)
			2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	6
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी- सह-उपनिदेशक, बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल, बेतिया-2	फॉरेस्ट कॉलोनी, बेतिया में पी. सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	12.822	1.773	14.595
योग:-			12.822	1.773	14.595

(रूपये चौदह लाख उनसठ हजार पाँच सौ) मात्र

  
 3/2/16  
 उप सचिव  
 पर्यावरण एवं वन विभाग  
 बिहार, पटना

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),  
 बिहार, पटना।


2017-18


Valmiki Tiger Reserve, Div-2, Valmikinagar.						
Estimate for construction of PCC road in Officer Colony, Bettiah, Total Length- 1195'						
(A) Year 2015-16 PCC work in 1050 ft length						
S. No.	Item No.	Item of Work	Quantity	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Estimate for 100 ft length</b>				
1		Providing and labour for cleaning site etc. all complete job. Quantity- unskilled labour-	15	nos	202.40	3036.00
2	4.1.2	Providing and laying cement concrete M20 etc all complete job. 100'0"x12'0"x0'6"-600.00 cft	16.99	M3	3741.30	63565.00
3	11.73	Providing designation 100A Brick on edge soling joints filled with local sand etc all complete job. 2x100'0"x0'10"-166.00 sft	15.42	M2	365.10	5630.00
4		Carriage cost of materials				
		(A) Sand 233 km	7.3	M <sup>3</sup>	2939.72	21460.00
		(B) Chips- 132 km	14.6	M <sup>3</sup>	2579.88	37666.00
		(C) Bricks	830	no	658.50	547.00
		(D) Local sand	0.46	M <sup>3</sup>	216.52	100.00
5		Difference cost of materials				
		(A) Bricks	830	no	532.93	442.00
		(B) Cement	144	bag	22.64	3260.00
		<b>Total</b>				<b>135706.00</b>
		Less 10% for C.P.				13571.00
		<b>Estimate for PCC in 100 ft length</b>				<b>122135.00</b>
6		For 1050'0" <b>1050 ft</b>	<b>1050 ft</b>	<b>100 ft</b>	<b>122135.00</b>	<b>1282214.00</b>
		<b>or say Rs.</b>				<b>1282200.00</b>
(B) Year 2016-17 Estimate for PCC in 145 ft						
7		Estimate for PCC in 145 ft length	145 ft	100 ft	122135	177295.00
		<b>or say Rs.</b>				<b>177300.00</b>
		<b>Total (A)+(B) PCC in 1095 ft length</b>				<b>1459500.00</b>


Estimated cost for 1195 ft PCC Rs. 1459500.00 (Fourteen lakh fifty nine thousand five hundred only)

for Rs. 1459500.00 (Fourteen lakh fifty nine thousand five hundred only)

Technical sanction accorded

Countersigned  
  
 11/1/16  
 C.F. Cum F.D.  
 Valmiki Tiger Reserve

  
 3/2/16  
 उप सचिव  
 पर्यावरण एवं वन विभाग  
 बिहार, पटना

  
 D.F.O.-cum- Dy Director,  
 Valmiki Tiger Reserve,  
 Division-2, Valmikinagar